फर्द अहकाम

कोयली देवी बनाम सरनी वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

मुकदमा 44/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/4/22	वकील [illegible] की जाकर पत्रावली आईंदा दिनांक 16/2/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	
16/3/22	उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित ~~[illegible]~~ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य due to Court है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 28/3/22 को पेश हो। (रीडर)	
28/3/22	वकील [illegible] वास्ते [illegible] पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान	
28/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में मूल वाद में डाक डिक्री किया जाकर पथपालन की स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत लिखे जाने के कारण T.I. स्टाम्प का कोई औचित्य नहीं होने से यह T.I. स्टाम्प वापिस किया जाता है। पत्रावली के साथ [illegible] दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	